



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग 1—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 11] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 21, 1990/भाद्र 30, 1912

No. 11] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 21, 1990/BHADRA 30, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जन्म-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 1990

फा.सं. ए.-12022/8/88-पीई-1:—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963
का 38) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते
हुए केन्द्र सरकार श्री गन. चन्द्रशेखरन, एफए, एण्ड सी ए ओ महापत्तन न्यास को उनके

पबभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक काण्डला पत्तन न्यास का उपाध्यक्ष नियुक्त करती है।

एस.एन. कक्कर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 1990

F. No. A-12022/8/88-PE-I.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of Sub-Section (1) of Section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government appoints Shri N. Chandrasekaran, FA&CAO, Madras Port Trust as Deputy Chairman, Kandla Port Trust w.e.f. the date of his taking over the charge of the post and until further orders.

Sd/-

S. N. KAKKAR, Jt. Secy.